

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मीरजापुर।

शेदा में,

प्रबन्धक,  
लायन्स स्कूल  
लालडिग्गी वेस्ट रोड मीरजापुर।

पत्रांक/मान्यता/ 2148-52

/2020-2021

दिनांक : 26-08-2020

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातापती पत्राचार/निरीक्षण के सदर्भ में शासनादेश ए०-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित निर्देशानुसार गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21.08.2020 के कार्यवृत्त के पत्रांक बेसिक/2142-47/2020-21 दिनांक 26.08.2020 के निर्णयानुसार लायन्स स्कूल लालडिग्गी रोड मीरजापुर को एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 5 तक औपचारिक मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान किया जाना सम्भवित करता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-5 के परचात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता थिदधित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथारिश्ति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कॅपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का स्यूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दमक का मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुक्ताता वस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है-

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| • विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - 62608 वर्ग फीट |
| • कुल निर्मित क्षेत्र         | - 23784 वर्ग फीट |
| • क्रीडास्थल का क्षेत्रफल     | - 38842 वर्ग फीट |
| • कक्षाओं की संख्या           | - 12             |


WMIS1-PCBSA Clerk, Mirzapur, U.P. (Page 127)

PRINCIPAL  
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR  
(Affiliated to C.B.S.E.)

Chief Executive  
Lions School  
Mirzapur

- प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा - हों
  - बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय - हों
  - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
  - मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई - उपलब्ध है।
  - बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
  - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलानी जायेगी।
  - 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
  - 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1960 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  - 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
  - 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
  - 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या E/PS/03/2020 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
  - 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कानियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
  - 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
  - 17- मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
  - 18- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा अथवा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेपरेशन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शाखा चलाने की अनुमति नहीं होगी।
  - 19- विद्यालय स्वयंसेवक योग्य होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
  - 20- विद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

  
(मोहिनंद कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मीरजापुर।


पू०सं०/मान्यता/


/2020-2021 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र मीरजापुर।
- 4- गाई पत्रावली।

(मोहिनंद कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मीरजापुर।

  
PRINCIPAL  
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR  
(Affiliated to C.B.S.E.)

  
Chief Executive  
Lions School  
Mirzapur

प्रेषक,  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मीरजापुर।  
सेवा में,  
प्रबन्धक,  
लायन्स स्कूल  
लालडिग्गी रोड मीरजापुर।

पत्रांक/मान्यता/ 6933-36

/2020-2021

दिनांक : 21-12-2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परस्परवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के संदर्भ में शासनादेश सं०-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.12.2020 के निर्णयानुसार लायन्स स्कूल लालडिग्गी रोड नगरपालिका मीरजापुर को एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक औपबोधित मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/सम्बन्ध करने के लिये कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथारिधिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सांसाइटी/विद्यालय किसी कॅम्पिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निरावृत्ता परत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार हैं-

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 5787.004552 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्र - 2207.67 वर्ग मीटर

र.२

PRINCIPAL  
LIONS SCHOOL, MIRZAPUR  
(Affiliated to C.B.S.E.)

Chief Executive  
Lions School  
Mirzapur

- क्रीडास्थल का क्षेत्रफल - संलग्न है।
- कक्षाओं की संख्या - 10
- प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह मण्डलागार के लिये कक्षा - हीं
- बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय - हीं
- पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
- भिड़-डे-मील पकाने के लिये रसोई - उपलब्ध है।
- बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
- अध्ययन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लान के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड E/UPS/05/20 संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 18- मान्यता आवंटित कोड

भवदीय  
 (गौतम प्रसाद)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 मीरजापुर।

पू०सं०/मान्यता/

/2019-2020

उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र मीरजापुर।
- 4- गार्ड फ़ाइल।

(गौतम प्रसाद)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 मीरजापुर।

PRINCIPAL  
 LIONS SCHOOL, MIRZAPUR  
 (Affiliated to C.B.S.E.)

Chief Executive  
 Lions School  
 Mirzapur